“STRANGER DANGER-NO-GO-TELL”

"अजनबी से सावधान– मना करो, दूर जाओ, बताओ"

One Wrong Step Can Trap You: Kidnapping, Abduction & Child Trafficking

Stay Alert, Stay Safe: Protect Yourself from Kidnapping & Trafficking

एक गलत कदम आपको फँसा सकता है: अपहरण, अगवा करना और बाल तस्करी

सतर्क रहो, सुरक्षित रहो: अपहरण और तस्करी से खुद को बचाओ

RAJASTHAN STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

न्यायाधिपति संजीव प्रकाश शर्मा

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति

राजस्थान उच्च न्यायालय

एवं

कार्यकारी अध्यक्ष

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

संदेश

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (RSLSA) द्वारा बच्चों के अधिकारों और जागरूकता अभियान से संबंधित विभिन्न विषयों पर पुस्तिकाओं की एक श्रृंखला प्रकाशित की जा रही है। इन पुस्तिकाओं का उद्देश्य बाल अधिकारों, सुरक्षा, संरक्षण तथा विधिक सहायता के विषय में सरल, स्पष्ट और व्यावहारिक जानकारी प्रदान करना है, ताकि बच्चे स्वयं को सुरक्षित रखने और आवश्यकता पड़ने पर सहायता प्राप्त करने के प्रति जागरूक हो सकें।

आज के तीव्र परिवर्तनशील सामाजिक और डिजिटल परिवेश में यह अत्यंत आवश्यक है कि बच्चों को स्नेहपूर्ण मार्गदर्शन के साथ–साथ ऐसी बुनियादी जानकारी भी दी जाए जो उन्हें सजग, आत्मविश्वासी और जिम्मेदार नागरिक बनने की दिशा में प्रेरित करे। जागरूकता ही सुरक्षा का प्रथम और सबसे सशक्त आधार है। जब बच्चे अपने अधिकारों और उपलब्ध सहायता तंत्रों के बारे में जानते हैं, तो वे भय या संकोच के बिना सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं।

यह पुस्तिकाएँ बाल–केंद्रित दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर सरल और सहज भाषा में तैयार की गई हैं। इनमें बच्चों की सुरक्षा, उचित आचरण, डिजिटल सावधानियाँ, कानूनी संरक्षण तथा सहायता प्राप्त करने की प्रक्रियाओं का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। उद्देश्य यह है कि जानकारी केवल पढ़ी ही न जाए, बल्कि समझी भी जाए और आवश्यकता पड़ने पर व्यवहार में लाई जा सके।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने सदैव बच्चों के कल्याण और संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। यह प्रकाशन उसी सतत प्रयास का एक महत्वपूर्ण चरण है, जो विधिक साक्षरता को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुँचाने और बच्चों के लिए अधिक सुरक्षित एवं सहयोगपूर्ण वातावरण के निर्माण की दिशा में समर्पित है।

मैं इस श्रृंखला की तैयारी में जुड़े सभी अधिकारियों और सहयोगियों के समर्पित प्रयासों की सराहना करता हूँ। मुझे विश्वास है कि यह पुस्तिकाएँ बच्चों के साथ–साथ अभिभावकों, शिक्षकों और संरक्षकों के लिए भी उपयोगी मार्गदर्शिका सिद्ध होंगी। आशा है कि यह पहल राज्य भर में बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा उनके लिए सुरक्षित, संवेदनशील और समर्थ वातावरण के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देगी।

(न्यायाधिपति संजीव प्रकाश शर्मा)

हरि ओम अत्री

सदस्य सचिव

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

संदेश

बच्चे एक सुरक्षित और न्यायपूर्ण समाज की आधारशिला हैं, और उनके अधिकारों तथा सुरक्षा के प्रति जागरूकता उनके समग्र विकास और कल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह पुस्तिका विशेष रूप से बच्चों के लिए तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य उन्हें उनके अधिकारों, व्यक्तिगत सुरक्षा और विधिक संरक्षण के विषय में सरल एवं स्पष्ट जानकारी प्रदान करना है। आयु–उपयुक्त और आश्वस्तकारी ढंग से बच्चों को संवेदनशील बनाना उन्हें आत्मविश्वास, गरिमा और विधि द्वारा उपलब्ध सुरक्षा उपायों के प्रति स्पष्ट समझ के साथ आगे बढ़ने में सहायक होता है।

इस पुस्तिका को सावधानीपूर्वक इस प्रकार रूपांकित किया गया है कि आवश्यक विधिक अवधारणाओं को सरल, सुगम और बाल–मैत्रीपूर्ण रूप में प्रस्तुत किया जा सके, जिससे बाल–पाठक इसकी विषयवस्तु से सहज रूप से जुड़ सकें। बच्चों के हितों को प्रभावित करने वाले विषयों से उन्हें परिचित कराते हुए यह प्रकाशन सजगता, उत्तरदायित्वपूर्ण आचरण तथा आवश्यकता पड़ने पर उपयुक्त सहायता तंत्र का समय पर उपयोग करने की प्रेरणा देता है।

यह पुस्तिका माननीय न्यायाधिपति श्री संजीव प्रकाश शर्मा, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण में तैयार की गई है, जिनकी दूरदृष्टि विधिक जागरूकता और न्याय तक पहुँच को सुदृढ़ करने, विशेषतः बच्चों तथा अन्य वंचित वर्गों के लिए, निरंतर प्रेरणा प्रदान करती रही है।

तत्पश्चात् इस सामग्री को सुव्यवस्थित एवं परिष्कृत रूप प्रदान करने में सुश्री अनुभूति मिश्रा, उप सचिव, सुश्री कोमल मोटियार, उप सचिव तथा सुश्री रश्मि नवल, उप सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनके सूक्ष्म परिश्रम, उत्कृष्ट समन्वय और संस्थागत प्रतिबद्धता विशेष प्रशंसा के पात्र हैं।

मैं इस पहल से जुड़े सभी अधिकारियों एवं सहयोगियों के समर्पित प्रयासों की सराहना करता हूँ तथा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में वर्तमान में सेवारत सभी अधिकारियों एवं कर्मियों के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। उनके सतत् समर्पण, निष्ठा और कर्तव्यनिष्ठ सेवा के कारण ही ऐसी जनोन्मुखी पहलें साकार रूप लेती हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके सामूहिक प्रयासों से यह पुस्तिका बच्चों, अभिभावकों, शिक्षकों एवं संरक्षकों के लिए एक उपयोगी मार्गदर्शिका सिद्ध होगी और उन्हें अधिक सुरक्षित एवं जागरूक भविष्य की दिशा में अग्रसर करेगी।

(हरि ओम अत्री)

Introduction: What is Kidnapping?

Imagine you are returning home after school or tuition. A stranger sitting in a car calls you and says, "Your parents have sent me to pick you up because of an emergency." He smiles politely and offers you chocolate, money, or a lift. You may feel confused, but before you understand what is happening, the car moves fast and you are taken away.

This is kidnapping.

Kidnapping means taking a child away from their parents or lawful guardian without permission. It is one of the most serious crimes against children because it removes a child from safety and places them in danger.

Kidnapping can happen anywhere outside schools, tuition centres, playgrounds, markets, bus stops, railway stations, or even in crowded fairs. That is why every student must learn how to stay alert and safe.

The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (BNS) is India's main criminal law that protects children from kidnapping, abduction, trafficking, and exploitation. Courts and authorities not only punish offenders but also focus on rescue, protection, and rehabilitation of children.

The Rajasthan State Legal Services Authority (RSLSA) works across the state to spread awareness among children and parents, provide free legal aid, and support child protection measures.

Difference Between Kidnapping and Abduction

Many students confuse kidnapping and abduction. Both are crimes, but they are different.

Kidnapping

Kidnapping means taking away a boy or girl below 16 years of age without the permission of parents or lawful guardians. Even if the child goes along willingly, the law still treats it as kidnapping because children may not understand danger fully.

परिचय: अपहरण वास्तव में क्या है?

कल्पना कीजिए कि आप स्कूल या ट्यूशन से घर लौट रहे हैं। रास्ते में एक अजनबी कार में बैठा आपको बुलाता है और कहता है—"तुम्हारे माता-पिता ने मुझे भेजा है, घर पर आपात स्थिति है।" वह मुस्कुराता है और आपको टॉफी, पैसे या उपहार देने का लालच देता है। आप थोड़ा घबराते हैं, लेकिन कुछ समझ पाते उससे पहले ही कार तेजी से आगे बढ़ जाती है और आप उसमें फँस जाते हैं।

यही अपहरण है।

अपहरण का अर्थ है किसी बच्चे को उसके माता-पिता या वैध अभिभावक की अनुमति के बिना उससे दूर ले जाना। यह बच्चों के विरुद्ध होने वाला अत्यंत गंभीर अपराध है क्योंकि इसमें बच्चे को सुरक्षा से हटाकर खतरे में डाल दिया जाता है।

अपहरण कहीं भी हो सकता है—स्कूल के बाहर, ट्यूशन सेंटर के पास, बस स्टैंड, बाजार, रेलवे स्टेशन, मेला, खेल के मैदान या सुनसान रास्तों पर। इसलिए हर विद्यार्थी को सतर्क रहना और अपनी सुरक्षा के बारे में जागरूक होना आवश्यक है।

भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) भारत का मुख्य आपराधिक कानून है जो बच्चों को अपहरण, व्यपहरण, तस्करी और शोषण से सुरक्षा प्रदान करता है। न्यायालय केवल अपराधियों को दंडित करने पर ही नहीं, बल्कि बच्चों के बचाव और पुनर्वास पर भी विशेष ध्यान देता है।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (RSLSA) पूरे राज्य में बच्चों की सुरक्षा हेतु जागरूकता कार्यक्रम चलाता है, निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करता है तथा बच्चों की सहायता के लिए निरंतर कार्यरत है।

अपहरण और व्यपहरण में अंतर

बहुत से विद्यार्थी अपहरण और व्यपहरण में भ्रमित हो जाते हैं। दोनों अपराध हैं, परंतु दोनों में अंतर है।

अपहरण

अपहरण का अर्थ है 16 वर्ष से कम आयु के बालक या बालिका को माता-पिता या वैध अभिभावक की अनुमति के बिना ले जाना। यदि बच्चा स्वयं भी साथ चला जाए, तब भी कानून इसे अपहरण मानता है क्योंकि बच्चे को खतरे की पूरी समझ नहीं होती।

Abduction

Abduction means taking any person from one place to another using force, threats, deceit, temptation, or fraud. It can happen to children as well as adults.

In simple words:

- Kidnapping is mainly related to children and guardianship.
- Abduction is mainly related to force or deception.

What Happens When a Child is Kidnapped?

When a child is kidnapped, the child is suddenly separated from family, school, friends, and a safe environment. The child may be taken to an unknown place and kept locked in a room or moved from one place to another.

Kidnappers often threaten children not to shout or ask for help. They may say things like:

- "If you cry, we will hurt you."
- "Your parents don't want you."
- "Nobody will find you."

A kidnapped child may feel fear, hunger, loneliness, and confusion. Such an experience causes deep mental trauma. Even after rescue, a child may need time, counselling, and support to feel safe again.

That is why immediate reporting and quick action are extremely important.

Why Do Kidnappers Target Children?

Criminals target children because children are innocent, physically weaker, and easier to mislead. Children may trust adults quickly and may not know what to do in an emergency.

Kidnappers may have different motives, such as:

Many children face long-term effects such as:

- **Child Labour –** forcing children to do hard and dangerous work.
- **Child Trafficking** – buying, selling, or transporting children illegally.
- **Forced Begging –** forcing children to beg on roads and markets.

व्यपहरण

व्यपहरण का अर्थ है किसी भी व्यक्ति को बल, धमकी, धोखे, प्रलोभन या छल के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। यह बच्चों और बड़ों दोनों के साथ हो सकता है।

सरल शब्दों में:

- अपहरण = बच्चे को अभिभावक की अनुमति के बिना ले जाना।
- व्यपहरण = किसी को बल या धोखे से कहीं ले जाना।

जब किसी बच्चे का अपहरण हो जाता है तो क्या होता है?

जब किसी बच्चे का अपहरण होता है तो बच्चा अचानक अपने परिवार, स्कूल, मित्रों और परिचित वातावरण से दूर हो जाता है। उसे किसी अनजान स्थान पर ले जाकर बंद कमरे में रखा जा सकता है या बार-बार जगह बदली जा सकती है ताकि कोई उसे खोज न सके।

अपहरणकर्ता बच्चे को धमकी देकर चुप रहने के लिए मजबूर करते हैं। वे कह सकते हैं—

- "अगर तुम रोए तो तुम्हें नुकसान होगा।"
- ”अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हारे माता-पिता को मार देंगे।"
- "कोई तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा।"

बच्चा भय, भूख, घबराहट और असहायता महसूस करता है। यह अनुभव बच्चे के मन पर गहरा आघात छोड़ता है। बचाव के बाद भी कई बच्चों को लंबे समय तक डर, चिंता और मानसिक परेशानी हो सकती है। इसलिए समय पर सूचना देना और तुरंत कार्रवाई अत्यंत आवश्यक है।

अपहरणकर्ता बच्चों को क्यों निशाना बनाते हैं?

अपहरणकर्ता बच्चों को निशाना बनाते हैं क्योंकि बच्चे मासूम, कमजोर और आसानी से बहकाए जा सकने वाले होते हैं। बच्चे जल्दी भरोसा कर लेते हैं और आपात स्थिति में क्या करना है यह नहीं जानते।

अपराधियों के उद्देश्य अलग-अलग हो सकते हैं, जैसे:

- बाल श्रम – बच्चों से कठिन और खतरनाक काम करवाना।
- बाल तस्करी – बच्चों को अवैध रूप से खरीदना-बेचना या दूसरे स्थान पर भेजना।
- जबरन भीख मंगवाना – बच्चों को सड़कों पर भीख मांगने के लिए मजबूर करना।

- **Ransom–**demanding money from parents by threatening the child.
- **Exploitation –** using children for immoral or illegal purposes.

These crimes are very serious and strictly punishable under law.

How Does Kidnapping Affect Childhood?

Kidnapping destroys a child's normal life. The child misses school, studies stop, and childhood happiness is taken away. The child is separated from family and friends, and the family suffers constant fear and stress.

Many children face long-term effects such as:

- Nightmares and sleeplessness
- Fear of strangers and crowds
- Anxiety and depression
- Loss of confidence
- Difficulty trusting people again

The family also suffers deeply. Parents remain worried, and normal life becomes disturbed. That is why kidnapping is treated as a serious crime against society.

How Do Kidnappers Choose Their Victims?

Kidnappers do not act suddenly. They plan carefully. They observe children's routines and daily movements.

They may notice:

- Which child goes to school or tuition alone
- Which route the child uses every day
- Which areas are isolated or poorly lit
- When parents are not nearby
- Which child looks shy or easily scared

They may pretend to be delivery workers, relatives, or acquaintances to gain trust. They may offer gifts like chocolates, toys, or even mobile phones. Sometimes they use your parents' name falsely to make you believe them. This is why students must never go anywhere with a stranger without confirming with parents or teachers.

- फिरौती – परिवार से पैसे वसूलने के लिए बच्चे को बंधक बनाना।
- शोषण – बच्चों का अनैतिक और अवैध उद्देश्यों के लिए उपयोग करना।

ये सभी गंभीर अपराध हैं और कानून के अनुसार कठोर दंडनीय हैं।

अपहरण बचपन को कैसे प्रभावित करता है?

अपहरण बच्चे की शिक्षा, मानसिक शांति और भविष्य को प्रभावित करता है। बच्चा स्कूल नहीं जा पाता, पढ़ाई छूट जाती है और बचपन की खुशियाँ खत्म हो जाती हैं। परिवार लगातार तनाव और चिंता में रहता है।

अपहरण का लंबे समय तक प्रभाव हो सकता है, जैसे:

- डरावने सपने और नींद न आना
- अजनबियों और भीड़ से डर लगना
- चिंता और अवसाद
- आत्मविश्वास की कमी
- किसी पर भरोसा न कर पाना
- हर समय असुरक्षित महसूस करना

इसी कारण अपहरण को समाज के विरुद्ध अत्यंत गंभीर अपराध माना गया है।

अपहरणकर्ता अपने शिकार कैसे चुनते हैं?

अपहरणकर्ता बिना योजना के कार्य नहीं करते। वे पहले बच्चों की दिनचर्या और गतिविधियों को ध्यान से देखते हैं।

वे यह पहचानते हैं:

- कौन बच्चा अकेला स्कूल या ट्यूशन जाता है
- कौन रोज़ एक ही रास्ते से आता-जाता है
- कौन-से स्थान सुनसान हैं
- माता-पिता कब आसपास नहीं रहते
- कौन बच्चा जल्दी डर जाता है या कम बोलता है

वे स्वयं को डिलीवरी बॉय, रिश्तेदार या परिचित बताकर विश्वास जीतने की कोशिश करते हैं। वे उपहार देकर बच्चों को फँसाते हैं या माता-पिता के नाम का झूठा बहाना बनाकर बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं।

इसलिए विद्यार्थियों को किसी के साथ भी जाने से पहले माता-पिता या शिक्षक से पुष्टि करना आवश्यक है।

Warning Signs to Recognize

Children must learn to recognize danger signs early. Some warning signs include:

- A stranger asking too many questions about your family or routine
- A person giving expensive gifts without reason
- Someone using your parents' name falsely
- Someone insisting you go to an unknown place
- Suspicious people repeatedly roaming near school or home
- A vehicle stopping again and again near school routes
- A friend suddenly going missing

If you notice such signs, immediately inform parents, teachers, school staff, or a trusted adult. If needed, call **1098 Childline.**

How to Stay Safe Every Day

Safety does not mean fear. It means awareness. Every student should follow these daily safety habits:

- Never travel alone; walk in groups whenever possible.
- Always inform parents about your routine and timings.
- Do not accept gifts, sweets, or rides from strangers.
- Do not share your home address, phone number, or school details with strangers.
- Avoid isolated streets and shortcuts.
- If someone follows you, go immediately to a crowded place.
- Shout loudly if someone tries to grab you
- Memorize important phone numbers, especially 1098
- Trust your instincts. If something feels wrong, leave immediately.

These small habits can protect you from big danger.

How Child Trafficking Leads To Child Labour, Forced Begging, And Exploitation?

Child trafficking is one of the most dangerous crimes against children. It means illegally taking a child from one place to another for exploitation. Trafficking does not always start with violence. Many criminals trap children slowly through lies and false promises.

चेतावनी संकेत जिन्हें पहचानना आवश्यक है

विद्यार्थियों को खतरे के संकेत जल्दी पहचानने चाहिए। जैसे:

- कोई अजनबी बार-बार आपके स्कूल, घर या माता-पिता के बारे में पूछे
- कोई बिना कारण महंगे उपहार दे
- कोई माता-पिता का नाम लेकर झूठ बोले
- कोई अजनबी आपको अनजान जगह ले जाने का दबाव डाले
- कोई व्यक्ति स्कूल या घर के आसपास बार-बार घूमे
- कोई वाहन बार-बार एक ही जगह रुकता दिखाई दे
- किसी मित्र का अचानक लापता हो जाना

यदि ऐसे संकेत दिखाई दें तो तुरंत माता-पिता, शिक्षक या स्कूल स्टाफ को बताएं और आवश्यकता होने पर **1098 पर कॉल करें।**

प्रतिदिन सुरक्षित कैसे रहें?

सुरक्षा का अर्थ डर नहीं, बल्कि सतर्कता है। हर विद्यार्थी को ये आदतें अपनानी चाहिए:

- कभी अकेले यात्रा न करें, समूह में चलें।
- माता-पिता को समय और रास्ते की जानकारी दें।
- अजनबी से मिठाई, उपहार या लिफ्ट स्वीकार न करें।
- अपना पता, मोबाइल नंबर या स्कूल की जानकारी अजनबी को न दें।
- सुनसान रास्ते और शॉर्टकट से बचें।
- अकेले रास्तों पर हेडफोन लगाकर न चलें।
- कोई पीछा करे तो भीड़ वाले स्थान पर चले जाएँ।
- खतरे में जोर से चिल्लाएँ और मदद माँगें।
- 1098 और माता-पिता के नंबर याद रखें।
- यदि कुछ गलत लगे तो तुरंत वहाँ से हट जाएँ।

छोटी सावधानियाँ बड़े खतरे से बचा सकती हैं।

बाल तस्करी कैसे बाल श्रम, जबरन भीख और शोषण की ओर ले जाती है?

बाल तस्करी बच्चों के विरुद्ध होने वाला सबसे गंभीर अपराधों में से एक है। बाल तस्करी का अर्थ है बच्चों को अवैध रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, खरीदना-बेचना या शोषण के उद्देश्य से रखना। यह अपराध केवल अपहरण तक सीमित नहीं रहता, बल्कि

Once a child is trafficked, the child may be forced into child labour, forced begging, or other illegal activities. Traffickers treat children like property and use them to earn money.

How Children Can Be Trapped into Trafficking?

Traffickers are clever and manipulative. They often gain trust first and then trap the child.

Common ways children can be trapped include:

1. False Promises of Jobs and Money

Criminals may promise a child or parents that the child will get a job in another city and earn money. They may say the child will work in a shop, hotel, or house and will have a better life. Poor families may believe these lies.

2. False Promises of Education

Some traffickers promise admission in good schools, hostels, or coaching centres. They may claim the child will get free education. But later, the child is forced to work.

3. Friendship and Emotional Manipulation

Some traffickers behave like friendly people. They give chocolates, toys, money, or gifts. They talk politely and make the child feel comfortable. Once trust is gained, the child is taken away.

4. Kidnapping and Abduction

Many children are trafficked by kidnapping from markets, bus stands, railway stations, fairs, or outside schools.

5. Online Traps and Social Media

Today, traffickers also trap children through social media, online games, and messaging apps. They may pretend to be of the same age, build friendship, and then ask the child to meet alone.

That is why students must never meet online strangers and must always inform parents about suspicious messages.

इसके बाद बच्चों को बाल श्रम, जबरन भीख और अन्य शोषण में धकेल दिया जाता है।

बाल तस्करी अक्सर हिंसा से शुरू नहीं होती। कई बार अपराधी पहले बच्चों या उनके परिवार का विश्वास जीतते हैं और फिर उन्हें फँसा लेते हैं।

बाल तस्करी में बच्चे कैसे फँसाए जाते हैं?

अपराधी बहुत चालाक होते हैं। वे धीरे-धीरे बच्चों को फँसाते हैं। सामान्य तरीके इस प्रकार हैं:

1. नौकरी और पैसे का झूठा लालच

अपराधी बच्चे या उसके माता-पिता को कहते हैं कि शहर में अच्छी नौकरी मिलेगी, पैसा मिलेगा और जीवन बेहतर होगा। गरीब परिवार कई बार इस झूठ पर विश्वास कर लेते हैं।

2. शिक्षा और हॉस्टल का झूठा वादा

कुछ लोग यह कहकर बच्चों को ले जाते हैं कि उन्हें अच्छे स्कूल या हॉस्टल में दाखिला दिलवाएंगे। लेकिन बाद में बच्चे को पढ़ाई के बजाय काम में लगा दिया जाता है।

3. दोस्ती और भावनात्मक बहकावा

कुछ अपराधी बच्चे से दोस्ती करते हैं। वे टॉफी, खिलौने, मोबाइल या पैसे देकर बच्चे को आकर्षित करते हैं। धीरे-धीरे बच्चा भरोसा कर लेता है और फिर उसे ले जाया जाता है।

4. अपहरण और व्यपहरण

कई बार अपराधी सीधे बच्चों का अपहरण कर लेते हैं, खासकर बाजार, स्टेशन, मेले या स्कूल के बाहर से।

5. सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेम्स के जरिए फँसाना

आजकल अपराधी सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम्स और चैटिंग ऐप्स के जरिए बच्चों से दोस्ती करते हैं। वे खुद को बच्चे की उम्र का बताकर विश्वास जीतते हैं और फिर मिलने के लिए बुलाते हैं।

इसलिए बच्चों को ऑनलाइन अजनबियों से सावधान रहना चाहिए और कभी भी अकेले मिलने नहीं जाना चाहिए।

How Child Trafficking Leads to Child Labour

Once a child is trafficked, criminals may force the child to work in unsafe and unhealthy conditions. The child is usually taken to another city or state so that the child cannot escape easily.

Trafficked children may be forced to work in:

- Hotels and roadside dhabas
- Factories and workshops
- Farms and brick kilns
- Shops and small businesses
- Houses as domestic workers

These children may work for long hours without proper food or payment. Many are threatened or beaten if they refuse. Their education stops, and their health suffers. Child labour destroys a child's childhood and future.

Child labour is illegal. The child is never at fault. The offenders are the traffickers and those who employ the child.

How Child Trafficking Leads to Forced Begging

Forced begging is one of the most cruel outcomes of trafficking. Trafficked children are taken to crowded places like traffic signals, railway stations, temples, and markets and are forced to beg daily.

Traffickers use children because people feel sympathy for children and give money easily. The money collected is taken by criminals.

In many cases:

- Children are threatened if they do not bring enough money
- Children are beaten or starved
- Children are not allowed to return home
- Children are forced to beg for many hours every day

Some criminals injure children intentionally or make them look sick to create pity. This is an inhuman crime that destroys the child's dignity and mental health. Children forced into begging need protection and rehabilitation, not blame.

बाल तस्करी कैसे बाल श्रम की ओर ले जाती है?

जब कोई बच्चा तस्करी का शिकार बनता है, तो अपराधी उसे दूसरे शहर या राज्य में ले जाते हैं ताकि वह घर वापस न आ सके। फिर बच्चे से जबरदस्ती काम करवाया जाता है।

ऐसे बच्चे को इन स्थानों पर काम कराया जा सकता है:

- होटल और ढाबों में
- फैक्ट्रियों और वर्कशॉप में
- खेतों और ईंट भट्टों में
- दुकानों और व्यापारिक स्थानों पर
- घरों में घरेलू नौकर के रूप में

बच्चे से लंबे समय तक काम करवाया जाता है। उसे उचित भोजन, आराम और पैसा नहीं दिया जाता। यदि बच्चा मना करे तो उसे धमकाया जाता है या मारपीट की जाती है। इससे बच्चे की पढ़ाई छूट जाती है और स्वास्थ्य खराब हो जाता है।

बाल श्रम अवैध है। बच्चा कभी दोषी नहीं होता, अपराधी वे लोग होते हैं जो बच्चों से काम करवाते हैं।

बाल तस्करी कैसे जबरन भीख मंगवाने की ओर ले जाती है ?

जबरन भीख मंगवाना बाल तस्करी का सबसे क्रूर परिणाम है। अपराधी बच्चों को ट्रैफिक सिग्नल, रेलवे स्टेशन, मंदिर और बाजारों में भीख मांगने के लिए मजबूर करते हैं।

अपराधी बच्चों का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि लोग बच्चों को देखकर दया करते हैं और पैसे दे देते हैं। लेकिन वह पैसा बच्चे के पास नहीं रहता, अपराधी ले लेते हैं।

अक्सर ऐसे मामलों में:

- बच्चों को डराया जाता है कि पैसे कम लाए तो मारेंगे
- बच्चों को भूखा रखा जाता है
- बच्चों से पूरे दिन भीख मंगवाई जाती है
- बच्चों को घर लौटने नहीं दिया जाता

कई बार अपराधी बच्चों को जानबूझकर चोट पहुँचाते हैं या उन्हें बीमार दिखाते हैं ताकि लोग अधिक पैसे दें। यह अमानवीय अपराध है जो बच्चे की गरिमा और मानसिक स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है।

How Child Trafficking Leads to Exploitation

Trafficked children may also be used for other illegal activities. They may be forced into dangerous work or immoral purposes. This exploitation causes deep emotional trauma.

Such children may suffer long-term fear, anxiety, depression, and loss of confidence. Many children feel unsafe even after rescue and require counselling and support.

That is why child trafficking is treated as a very serious offence under law.

Under **Section 143 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023,** child trafficking is punishable with imprisonment ranging from **10 years to life imprisonment.**

The **Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015** ensures safe rehabilitation, shelter, counselling, and education for rescued children.

Forced Begging (Legal Protection and Awareness)

Forcing children to beg through threats, injury, or cruelty is a serious crime.

- **Section 139, Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023** provides strict punishment for kidnapping or harming a child for begging.
- **Section 76, Juvenile Justice Act, 2015** makes employing a child for begging punishable.
- **Rajasthan Rehabilitation of Beggars or Indigent Persons Act, 2012** focuses on rehabilitation of children.

Students should understand that begging is not a child's choice in many cases. Many children are forced into it.

Role of RSLSA and 1098 Childline

The Rajasthan State Legal Services Authority (RSLSA) works for child protection through:

- Awareness programmes in schools
- Free legal aid for children and families
- Child-sensitive training for police

बाल तस्करी कैसे शोषण की ओर ले जाती है?

तस्करी के शिकार बच्चे केवल काम या भीख तक सीमित नहीं रहते। कई बच्चों का उपयोग अन्य अवैध गतिविधियों और अनैतिक उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है। इससे बच्चों का जीवन पूरी तरह टूट जाता है।

ऐसे बच्चे मानसिक रूप से गहरा आघात झेलते हैं। उनमें डर, चिंता, अवसाद, आत्मविश्वास की कमी और समाज से दूरी जैसी समस्याएँ हो सकती हैं। बचाव के बाद भी ऐसे बच्चों को परामर्श और पुनर्वास की आवश्यकता होती है।

इसी कारण बाल तस्करी को कानून के अनुसार अत्यंत गंभीर अपराध माना गया है।

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 143 के अंतर्गत बाल तस्करी पर 10 वर्ष से आजीवन कारावास तक का दंड है। किशोर न्याय अधिनियम, 2015 बचाए गए बच्चों को सुरक्षित आश्रय, शिक्षा, परामर्श और पुनर्वास प्रदान करता है।

जबरन भीख मंगवाना (कानूनी सुरक्षा)

बच्चों को धमकी, मारपीट या चोट पहुंचाकर भीख मंगवाना गंभीर अपराध है।

- धारा 139, भारतीय न्याय संहिता, 2023 – भीख के लिए अपहरण या चोट पहुँचाने पर कठोर दंड।
- धारा 76, किशोर न्याय अधिनियम, 2015 – बच्चे से भीख मंगवाना दंडनीय अपराध।
- राजस्थान भिक्षुक पुनर्वास या निराश्रित व्यक्तियों का पुनर्वास अधिनियम, 2012 – बच्चों के पुनर्वास और संरक्षण पर जोर देता है।

विद्यार्थियों को यह समझना चाहिए कि कई बच्चे अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि मजबूरी में भीख मांगते हैं।

RSLSA और 1098 चाइल्डलाइन की भूमिका

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (RSLSA) बच्चों की सुरक्षा हेतु निम्न कार्य करता है:

- स्कूलों में जागरूकता अभियान
- निःशुल्क विधिक सहायता
- पुलिस को बाल-संवेदनशील प्रशिक्षण

- Coordination with shelter homes
- Rehabilitation and counselling services

1098 Childline is a 24×7 toll-free helpline for children. When you call 1098:

- Your complaint is heard seriously
- Immediate help is arranged
- Rescue support is provided
- Safe shelter and medical help are arranged
- Counselling and rehabilitation services are provided

Calling 1098 is safe, confidential, and meant for child protection.

What Should You Do if Someone Tries to Kidnap You?

If someone tries to kidnap you, do not freeze. Act quickly:

1. Call 1098 Childline immediately or ask someone nearby to call.
2. Run towards a crowded and safe place such as a shop, school, temple, or police station.
3. Shout loudly: "Help! Help!"
4. Do not enter a car, bike, or unknown vehicle.
5. Inform parents, teachers, or school authorities immediately.
6. Try to remember the person's face, clothes, and the vehicle number or colour.
7. Give complete information to police or authorities.
8. After rescue, accept counselling and support services.

Important Facts

- A child is never punished for reporting kidnapping, trafficking, child labour, or forced begging.
- The law protects children; only criminals are punished.
- Calling 1098 will not get you into trouble.
- Quick reporting increases the chance of rescue.
- Staying silent helps criminals, but reporting saves children.

- सुरक्षित आश्रय गृह की व्यवस्था
- पुनर्वास और परामर्श सेवाएँ
- पीड़ित बच्चों के लिए फॉलो-अप सहायता

1098 चाइल्डलाइन 24×7 निःशुल्क हेल्पलाइन है। 1098 पर कॉल करने पर:

- आपकी बात सुनी जाती है
- तुरंत सहायता भेजी जाती है
- बचाव कार्यवाही होती है
- सुरक्षित आश्रय और चिकित्सा सुविधा मिलती है
- परामर्श और पुनर्वास सेवा उपलब्ध होती है

1098 पर कॉल करना सुरक्षित और गोपनीय है।

अगर कोई आपको किडनैप करने की कोशिश करे तो क्या करें?

यदि कोई आपको अपहरण करने की कोशिश करे तो घबराएं नहीं। तुरंत कार्य करें:

1. तुरंत 1098 पर कॉल करें या किसी से कॉल करवाएँ।
2. भीड़-भाड़ वाले सुरक्षित स्थान की ओर जाएँ।
3. जोर से चिल्लाएँ—"बचाओ! बचाओ!"
4. किसी भी अजनबी वाहन में न बैठें।
5. माता-पिता, शिक्षक या स्कूल स्टाफ को तुरंत बताएं।
6. व्यक्ति का चेहरा, कपड़े और वाहन का रंग/नंबर याद रखने की कोशिश करें।
7. पुलिस या अधिकारियों को पूरी जानकारी दें।
8. बचाव के बाद परामर्श और सहायता स्वीकार करें।

महत्वपूर्ण तथ्य

- अपहरण, तस्करी, बाल श्रम या भीख की सूचना देने पर बच्चे को दंड नहीं दिया जाता।
- कानून बच्चों की रक्षा करता है; सजा केवल अपराधियों को मिलती है।
- 1098 पर कॉल करने से बच्चा मुसीबत में नहीं पड़ता।
- जितनी जल्दी सूचना दी जाएगी, उतनी जल्दी बचाव की संभावना बढ़ेगी।
- चुप रहना अपराधियों की मदद करता है, लेकिन सूचना देना बच्चों की रक्षा करता है।

Conclusion: You Are Safe, You Are Empowered

Kidnapping, child trafficking, child labour, and forced begging are serious crimes that harm children and society. Every child has the right to safety, dignity, and education.

The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, Juvenile Justice Act, and other child protection laws provide strict punishment for offenders and protection for children.

RSLSA, DLSA, and 1098 Childline continuously work for the safety, rescue, and rehabilitation of children.

Stay alert.

Do not trust strangers.

Share information with your family.

Report suspicious activities immediately.

If there is danger or you see injustice happening to a child, contact 1098 Childline, your nearest DLSA office, or the police immediately.

RSLSA Helpline Number: 15100, 9928900900

You are smart.

You are brave.

Your safety is priceless.

निष्कर्ष: आप सुरक्षित हैं, आप सशक्त हैं

अपहरण, बाल तस्करी, बाल श्रम और जबरन भीख मंगवाना गंभीर अपराध हैं जो बच्चों और समाज दोनों को नुकसान पहुँचाते हैं। हर बच्चे को सुरक्षा, गरिमा और शिक्षा का अधिकार है।

भारतीय न्याय संहिता, 2023, किशोर न्याय अधिनियम और अन्य बाल संरक्षण कानून अपराधियों को कठोर दंड देने तथा बच्चों को सहायता और पुनर्वास प्रदान करने का प्रावधान करते हैं।

RSLSA, DLSA और 1098 चाइल्डलाइन बच्चों की सुरक्षा, बचाव और पुनर्वास के लिए निरंतर कार्यरत हैं।

सुरक्षित रहें।

अजनबियों पर भरोसा न करें।

अपनी जानकारी परिवार के साथ साझा करें।

संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत दें।

यदि कोई खतरा हो या किसी बच्चे के साथ अन्याय होता देखें, तो तुरंत 1098 चाइल्डलाइन, निकटतम DLSA कार्यालय या पुलिस से संपर्क करें।

RSLSA हेल्पलाइन नंबर: 15100, 9928900900

आप समझदार हैं।

आप साहसी हैं।

आपकी सुरक्षा अमूल्य है।

Notes

Notes

Notes

RAJASTHAN STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY
Rajasthan High Court Campus, Jaipur Bench
Vidhik Seva Sadan, Vidhik Seva Marg, C-Scheme, Jaipur
Phone No. : 0141-2227481, FAX: 2227602
Toll Free Help Line 15100/9928900900
Email: rslsajp@gmail.com, website: http://rajasthan.nalsa.gov.in